

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-28122021-232187
SG-DL-E-28122021-232187

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 324
No. 396]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943	[N. C. T. D. No. 324

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2021

फा. नं. 161(9)/एकड़/एक्सट. फी/2021/1641-50.—दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने अधिसूचना संख्या एफ. 161/फी. स्ट्रक्चर/ डी. टी. टी. ई./ 2014-15/341-352 दिनांक 08.04.2016 द्वारा निजी रूप से प्रबंधित एवं स्वयं वित्तीय संस्थानों, जो की दिल्ली सरकार के तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबंधित है, में चलाये जा रहे विभिन्न डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए तृतीय राज्य शुल्क नियामक समिति (Third State Fee Regulatory Committee) द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना (Fee Structure) को अधिसूचित किया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त लिखित अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित शुल्क संरचना को वर्ष 2021-22 के लिए बढ़ाया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से

और उनके नाम पर,

रंजना देसवाल, निदेशक (टीटीई)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION**NOTIFICATION**

Delhi, the 24th December, 2021

No.F.161(9)/Acad./Ext. Fee/2021/1641-50.—The Government of NCT of Delhi notified the approved fee structure recommended by the Third State Fee Regulatory Committee for pursuing courses in Privately Managed Self Financed Institutions, affiliated to Board of Technical Education, GNCTD offering different diploma courses, vide notification no. F.No. 161/FEE STRUCTURE/DTTE/2014-15/341-352 dated 08.04.2016.

The Government of National Capital Territory of Delhi has decided that the fee structure notified vide above notification will be extended for the academic year 2021-22.

By Order and in the Name
of the Lt.Governor Delhi,

RANJANA DESWAL, Director (TTE)